

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन

२५४०/३४२-८-१५



श्रीमती श्यामा सिंघानिया पत्नी स्व० विजय सिंघानिया

निवासी न्यू गांधी चौक शहडोल तह. वजिला-दुलहरा

विरुद्ध

1. श्रीमती बेलाबाई पत्नी जियालाल पठेल निवासी ग्राम- दुलहरा

तहसील व जिला- अनूपपुर

2. श्रीमती पुष्पा सिंघानिया न्यू गांधीचौक शहडोल तहसील सोहागपुर

3. श्रीमती प्रेमा अग्रवाल निवासी द्रान्सपोर्ट नगर कोरबा जिला- कोरबा

4. श्रीमती रमा सिंघानिया निवासी न्यू गांधीचौक सोहागपुर शहडोल

5. श्रीमती सुधा कनोडिया वंदना साडी निकेतन सतना जिला-सतना

6. भीकमचंद पुत्र नथूलाल मारवाडी वार्ड क-2 महावीर वार्ड कोतमा

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम-32 के अधीन  
आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक-आर२७७०-दो/2012 माननीय न्यायालय के समक्ष  
दिनांक 29-04-2015 को नियत था।

2. यह कि, नियत दिनांक 29-04-2015 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय  
के अनुसार सामुहिक रूप से कार्य से विरत थे आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस  
कारण आवेदक नियत दिनांक 29-04-2015 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम  
पेरवी में खारीज हो गया इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई माह के तीसरे  
सप्ताह में खारीज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चाला करने पर हुयी जानकारी  
दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणागुण पर सुनवायी की जाकर निर्णय  
किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव प्रार्थना है कि, आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक-आर२७७०-दो/2012 पुनः स्थापित किया जाकर प्रकरण के गुण-दोषों पर सुनवायी किये जाने के  
आदेश न्यायहित में प्रदान किये जायें।

इति दिनांक: ३१/५/२०१५

आवेदकगण

द्वारा अधिवक्ता  
Belpuruk  
(ऐस.के. बाजपेयी)

## XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. १३४२-ए ११५

जिला- १८८३०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
---------------------	--------------------	--

१-७-१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p><i>(Signature)</i> ( एम.के.सिंह ) सदस्य</p>
--------	---